

**काशीनगर,
साथित, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- साहित्य/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

सम्बन्धित दिनांक: 14-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

प्रदत्त संशोधित सलाहों की शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु विद्यार्थी सलाह सलाहों की अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विलोपन प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु उपरोक्त सलाहों को सम्बद्धता/पूर्व से संशोधित सलाहों का सम्बद्धता विलोपन/पाठ्यक्रम/अंश वापस बुद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-17 में विद्यार्थी सलाह सलाह संशोधित करने वाली नई संस्था का उल्लेख हुआ गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पाठ्य-विषयों का निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

ऐसी नवस्थापित विद्यार्थी सलाहें जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु एडवाइजरी/टीआईए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पीठरी/आईए द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निर्देशन समिति द्वारा निर्देशनोपरांत एडवाइजरी/टीआईए द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पीठरी/आईए अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित करवा जा सके।

उक्त निम्नानुसार संशोधित संस्था को परिषद की निर्देशन समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित सलाहों के अंश पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश कक्षा हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एडवाइजरी/टीआईए/पीठरी/आईए द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश कक्षा	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश कक्षा
1	2040	सैफी इन्स्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेटिज्म एवं बिजनेस एच एच- सैन्टुर लकीनपुर- 200722	विद्यार्थी सलाह	60	60

सम्बद्धता हेतु सलाहें

- ✓ कक्षा एडवाइजरी/टीआईए द्वारा निर्देशित की गयी सलाहों का पूर्ण प्रदान करेंगे।
 - ✓ कक्षा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एच. 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों की तहत उक्त सलाह निर्मित विषयों एवं कक्षाओं का अनुपालन करेंगे तथा उक्त सलाह निर्देशन समिति द्वारा निर्देशित सलाहों का पूर्ण प्रदान करेंगे।
- सत्र 2019-20 हेतु एडवाइजरी/टीआईए द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु एच. 1982 20,000.00/- प्रतिवर्ष, पीठरी/आईए द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु एच. 1982 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र में सलाहें पर्यटकों को सलाहें कार्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित हेतु एच. 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रतिक्रिया प्राप्त/प्राप्त में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय लक्ष्मीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली कॉलेजियल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय लक्ष्मीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवत्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के गट-3 में डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नजु निर्णय लिया गया -

'निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें क्वालिफ् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये नये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम को सम्मुख अधिका पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।'

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2048 कीर्ती इन्टीरग्रुप जॉय फार्मास्यूटिकल सहर, डिस्ट्रिक्ट एच पी०- इन्डूर, मध्यप्रदेश-बी०।	डिप्लोमा इन कार्मेली	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद रजिस्ट्रेशनरूली 1962, सेनेटरल विनियमेशनरूली-2016 तथा अन्य निम्नलिखित नियमों एवं कानूनों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुख्य तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०- 65,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही वसूलें प्राप्त/छात्रों से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्मान-सन्ध पर साक्षर द्वारा निर्णय किये जाने वाले सासनार्थक प्रणाली द्वारा, और तदनुसार कार्यवाही किया

(Handwritten Signature)

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविधिक शिक्षा परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ- दिनांक- 09/08/2021

कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उद्योगों/व्यक्तिगत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2040-CHAUDHARY INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE,VILL & POST-SHERPUR, LAKHIMPUR KHERI-262722

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹- 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निश्चय किया जाय है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कब-कब गये विधिनियमों/अधिनियमों/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा कब-कब गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तत्पर होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा